


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या- 95 / 2013जिला.....झुन्झुनू.....

उनवान- एसीटीओ, घट चतुर्थ, वृत झुन्झुनू मुख्यालय चिडावा बनाम हाईटैक इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, खेतडी नगर

तारीख हु	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
07.06.2017	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य</u></p> <p>पत्रावली पेश हुई। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री डी.पी.ओझा उपस्थित। अपीलार्थी विभाग की ओर से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट चतुर्थ, वृत झुन्झुनू मुख्यालय चिडावा ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण को विद्वा करने का निवेदन किया।</p> <p>उप राजकीय अभिभाषक ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट चतुर्थ, वृत झुन्झुनू मुख्यालय चिडावा के प्रार्थना पत्र के आधार पर निवेदन किया कि प्रकरण में प्रत्यार्थी ने राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित एमेनेस्टी स्कीम के तहत लाभ प्राप्त कर लिया है, इसलिए कोई मांग बकाया नहीं है इस कारण विभाग हस्तगत प्रकरण को विद्वा करने की अनुमति चाहता है तथा विभागीय प्रतिनिधि द्वारा भी प्रकरण विद्वा करने का निवेदन किया गया।</p> <p>अपीलार्थी राजस्व के प्रार्थना पत्र व विभागीय प्रतिनिधि के अनुरोध पर प्रकरण विद्वा करने की अनुमति प्रदान की जाती है।</p> <p>अतः प्रस्तुत अपील जरिये विद्व्रावल खारिज की जाती है।</p> <p>निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर </p>	